



581

न्यायालय राजस्व मंडल खालियार मध्य प्रदेश

पु 0 कू /2013 रिवीजन - R 773- PBR/13

3.3.1467 05
पु 0 कू दि. 22.2.13

23/2/13

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. खालियार

H. K. Dwivedi's Ap.
22/02/13

- 1:- राजीव कुमार पुत्र श्री राजकुमार जैन
 - 2:- संजीवकुमार पुत्र श्री राजकुमार जैन
 - 3:- सोनू जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन
 - 4:- श्री मति रजनी जैन पुत्री राजकुमार जैन
 - 5:- कुपूनम जैन पुत्री श्री राजकुमार जैन
 - 6:- कु नर्वदा जैन पुत्री श्री राजकुमार जैन
- श्री मति इन्द्रावाई वेवा श्री राजकुमार जैन
सभ्नी निवासीगण ग्राम किरवाया तेहसील
गंज बासोदा जिला विदिशा म0पू0 ---

----- रिवीजनकर्ता
रिस्पाडेन्ट

बनाम

- 1:- श्री मति शांतिवाई पुत्री हरपसाद जैन
 - 2:- श्री मति चन्द्रप्रभा पुत्री हरपसाद जैन
 - 3:- श्री मति मंजू जैन पुत्री हरपसाद जैन
- सभ्नी निवासीगण गंज बासोदा जिला विदिशा

म0पू0

---पुत्री, रिवीजनकर्ता
अपीलान्ट

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0पू0 मू0 रासंहिता खिलाफ
आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व & गंज बासोदा
जिला विदिशा म0पू0 प्रकरण क्रमांक 98/अपील /2007-10
वामामले शांतिवाई आदि -अपीलान्ट बनाम राजीवकुमार
आदि - रिस्पाडेन्ट आराजी ग्राम किरवाया तेहसील गंज
बासोदा जिला विदिशा आदेश दिनांक 13/2/2013

श्री मान महोदय



प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुत्रीरिवीजनकर्तागण /

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-773-पीबीआर/13

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	